UPKU010043332026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित–**संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०–UP2018**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 1306/2026**

बृजेश सैनी बउम्र 20 वर्ष पुत्र श्यामबदन सैनी, सा०– तरया सुजान, थाना– तरया सुजान, जिला– कुशीनगर।

––– अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। –––विपक्षी

मु०अ०सं०– 132/2026
धारा–109,115(2),191(2),352,
351(2) बी०एन०एस०
थाना– तरया सुजान
जिला– कुशीनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1–यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त बृजेश सैनी की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 23–05–2026 को वादी मुकदमा सुग्रीव राय द्वारा थाना– तरया सुजान में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका पौत्र दिब्यांश शान्ति चौक के आर.ओ प्लाण्ट तक पहुँचा था तभी अवधेश, संदेश व बृजेश दिनांक 22–05–2026 को दिन में लगभग दो बजे तरया बाजार में शान्ति चोक की तरफ जा रहा था सैनी व मुस्कान तथा इनके साथ चार पांच लोग नाम पता अज्ञात एक राय व गोल बन्द होकर दिब्यांश की हत्या करने की नीयत से अवधेश ने चाकू मार दिया जिससे दिब्यांश जमीन पर गिर गया तो मुस्कान ने भी उसे चाकू मार दिया तथा संदेश ने कहा कि मार डालो साले को। इतने में सभी ने एकत्रित होकर लात घूंसा डण्डा व लोहे की राड से मारने लगे। घटना देखकर लोग एकत्रित होने लगे तो उक्त लोग गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। उपरोक्त सभी अपराधी किस्म के लोग हैं। उसे घटना की जानकारी हुई तो दिब्यांश को सरकारी अस्पताल तरया सुजान लेकर गया जहां डाक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पर डाक्टरों ने दवा इलाज व चोटों का मुवायना करके उसे गोरखपुर रेफर कर दिया जहां उसका इलाज चल रहा है। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट

दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त कथित घटना में सामिल नहीं था। अभियुक्त का रोल चाकू से मारने का नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा चालबाज किस्त का ब्यक्ति है। पुलिस से मिलकर उसने अभियुक्त व उसके परिवार को इस घटना में फंसा दिया है। वास्तविकता यह है कि अभियुक्त के भाई अवधेश सैनी व संदेश सैनी को दिनांक 22–05–2026 को दो बजे दिन में शान्ति चौक तरया सुजान पर दिब्यांशु राय व उनके सहयोगी अनुज शाही, आलोक मिश्र, संदर्य राय, तरंग श्रीवास्तव, फिगन वर्मा, अभिज्ञान राय व राज राय आदि लोग मार पीटकर उसका पांच हजार रूपया छीन लिए तथा अपने बचाव के लिए थाना तरया सुजान की पुलिस से मिलकर अभियुक्त को साजिशन फंसा दिए। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 24–05–2026 से जेल में निरूद्ध है। तदनुसार जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने बहस में कहा है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पौत्र दिब्यांश को लाठी डण्डा व लोहे के राड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा उसे गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी गई। तदनुसार जमानत प्रार्थना खारिज करने की याचना की गयी।

5–मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पौत्र दिब्यांश को लाठी डण्डा व लोहे के राड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा उसे गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी गई। केस डायरी में घायल दिब्यांशु राय की आघात आख्या उपलब्ध है जिसमें उसे दो चोटें आना अंकित है। पहली चोट दाहिने जंघे पर तथा दूसरी चोट दाहिने हिप पर कटे हुए घाव की आई है। चोटों को साधारण प्रकृति की होना बताया गया है। घायल को कोई भी चोट शरीर के मर्मस्थल पर नही आई है जिससे घायल के जान जाने की संभावना हो। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। अभियुक्त दिनांक 24–05–2026 से जेल में निरूद्ध है। उक्त दिये गये कारणों के मद्देनजर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त बृजेश सैनी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) की दो जमानतें एवं इतनी ही धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय–

1– अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से

न्यायालय में उपस्थित रहेगगा।

2– अभियुक्त कमिटल, आरोप विरचन, साक्ष्य का अंकन एवं धारा 351 बी०एन०एस०एस० के बयान के समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा और अनावश्यक कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र नहीं देगा।

3– अभियुक्त अपना तथा जमानतदारों का नाम–पता बदलने पर इसकी सूचना न्यायालय को देगा।

दिनांकः 11.06.2026

R.P. Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.06.11 15:31:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court